कार्यालय प्रबन्धक, इण्टरमीडिएट कॉलेज श्री नवजीवन आश्रम, घुत्तू भिलंग, टि०ग०

विज्ञप्ति संख्या- 02 /2025-26

दिनांकः 21 फरवरी, 2026

विज्ञप्ति

मुख्य शिक्षा अधिकारी, टि०ग० द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में इण्टरमीडिएट कॉलेज श्री नवजीवन आश्रम, घुत्तू भिलंग, टि०ग० में निम्नांकित विवरणानुसार सीधी भर्ती से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्राख्यापित विनियम 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता में अर्ह अभ्यर्थी से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पद का नाम	विषय	वेतन बैंड/ पे लेवल	रिक्त पद की संख्या	आरक्षण की स्थिति	शैक्षिक योग्यता व अर्हता
स०अ० (एल०टी०) गणित	गणित	44900-142400	1	अनारक्षित	राजकीय शिक्षकों / स०अ० (एल०टी०) नियमावली के अनुसार एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्राख्यापित विनियम 2009 (समय - समय पर यथा संशोधित) एवं संशोधित अधिसूचना माध्यमिक शिक्षा अनुभाग- 4 सं०- 531/XXIV-4/2017 - 1 (01)/2016 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2016 व समय समय पर शासनादेशानुसार

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देशः-

1. उक्त रिक्त सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र 300 (तीन सौ रूपये मात्र) के रेखांकित पोस्टल ऑर्डर / बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी, टि०ग०, नरेन्द्रनगर के नाम से देय हो, जमा करने पर प्रकाशन तिथि से 21 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में मुख्य शिक्षा अधिकारी, टि०ग०, नरेन्द्रनगर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी दशा में कार्यालय में नगद रूप से भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता तथा आवश्यक संलग्नाकों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों सहित पंजीकृत डाक से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, टि०ग०, नरेन्द्रनगर के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिन अर्थात दिनांक 13/03/2026 के सांय 05 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। लिफाफे के बांई ओर पद का नाम व विषय तथा दांयी ओर विद्यालय का नाम अवश्य अंकित किया जाये।
3. उपर्युक्त पद हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष एवं आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।
4. विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड के किसी जिले के सेवायोजन कार्यालय में नाम पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदक के पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यता संलग्न करें। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवास हो, प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न करें। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त निरस्त मान लिया जायेगा।

(भरत सिंह गुसाई)

प्रबन्धक, इण्टरमीडिएट कॉलेज श्री नवजीवन आश्रम, घुत्तू भिलंग, टि०ग०। मो.-9557266567